P.C.O. Connections at Anisabad Telephone Exchange, Patna

3701. SHRI SURYABHAN PATIL VAHADANE: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of applications pending for grant of P.C.O. connections at Anisabad Telephone Exchange, Patna;

(b) whether it is a fact that some applications have been pending for more than two years;

(c) if so, the reasons therefor;

(d) whether it is also a fact that an application dated 2nd Jaunary, 1996 with Registration Number ANB-0001 is still pending whereas applications received at later dates have been granted P.C.O. connections; and

(e) if so, the reasons therefor and by when P.C.O. connection for this application be granted?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KABINDRA PURKAYASTHA): (a) 251 applications are pending for grant of P.C.O. connections at Anisabad Telephone Exchange, Patna as 31.3.98.

(b) and (c) Yes, Sir. Applications for allotment of PCOs are pending due to non-availability of spare capacity in the exchange.

(d) and (e) No, Sir. Applications registered after 31.3.95 for allotment of PCOs are pending. These are likely to be cleared progressively when spare capacity in the exchange is available.

डाक घरों का दर्जा बढ़ाये जाने के संबंध में स्थायी नीति

3702. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों में डाक घरों का दर्जा बढ़ाने के संबंध में सरकार की स्थायी नीति क्या है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उड़ीसा, गुजरात और मध्य प्रदेश में किन-किन जिलों में कितने डाक घरों का दर्जा बढ़ाया गया है; और

(घ) वर्ष 1998-99 के दौरान उड़ीसा, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में ऐसे कितने डाक घरों का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) और (ख) अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों का विभागीय उप डाकघरों के बतौर तथा विभागीय उप-डाकघरों का प्रधान डाकघरों के बतौर दर्जा बढ़ाए जाने संबंधी मानदण्ड विवरण-I में दिए गए हैं (नीचे देखिये)।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में जिन डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया, उनकी जिलावार व वर्षवार संख्या विवरण-II में दी गई है।

(घ) विभागीय उप डाकघर खोलने के लक्ष्यों में ऐसे मौजूदा अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर भी शामिल होते हैं, जिनका दर्जा बढ़ाकर विभागीय उप-डाकघर खोला जाना है। वर्ष 1998-99 के दौरान उड़ीसा, गुजरात तथा मध्य प्रदेश राज्यों में, प्रत्येक राज्य में, दो-दो विभागीय उप डाकघर खोलने का लक्ष्य है जिनमें वे डाकघर भी शामिल हैं जिन्हें दर्जा बढ़ाकर खोला जाएगा।

जहां तक, विभागीय उप-डाकघरों का प्रधान डाकघरों के रूप में दर्जा बढ़ाने का संबंध है, उपर्युक्त (क) में उल्लेख किए गए अनुसार जरूरत महसूस होने पर दर्जा बढ़ाया जाता है।

विवरण-I

अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर का विभागीय उप-डाकघर के बतौर दर्जा बढ़ाने के लिए मानदण्ड

1. अतिरिक्त विभागीय डाक घर का न्यूनतम कार्यभार पांच घंटे प्रतिदिन होना चाहिए।

2. सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक घाटा 2400/- रु० प्रतिवर्ष तथा जनजातीय व पहाड़ी क्षेत्रों में 4800/- रु० प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। शहरी क्षेत्र में डाकघर को आरंभ में आत्मनिर्भर होना चाहिए। प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय इसे 5 प्रतिशत लाभ दर्शाना चाहिए ताकि यह आगे बनाए रखे जाने हेतु पात्र हो सके। लाभ और घाटे का आकलन विभाग द्वारा अपनाए

जा रहे आय व लागत के फार्मूले के अनुसार किया जाता है।

3. 20 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में दो डाक घरों के बीच की न्यूनतम दूरी 1.5 कि०मी० तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में 2 कि० मी० से कम नहीं होनी चाहिए। यदि यह एक वितरण डाक घर है, तो निकटतम वितरण डाक घर से इसकी दूरी 5 कि० मी० से कम नहीं होना चाहिए।

सर्किल अध्यक्षों को 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्त में छूट देने का अधिकार है।

उप-डाकघर का प्रधान डाक घर के बतौर दर्जा बढ़ाने के लिए मानदण्ड: किसी उप-डाकघर का प्रधान डाक घर के बतौर दर्जा विनिर्धारित विभागीय मानदण्डों के अनुसार बढ़ाया जाता है। इन मानदण्डों के अनुसार, कोई प्रधान डाक घर, मौजूदा प्रधान डाक घर के लेखा अधिकार क्षेत्र का विभाजन करके तब सृजित किया जाता है जब इसके अंतर्गत कार्य कर रहे उप डाकघरों की संख्या 60 से अधिक हो जाती है। इसके अलावा एक शर्त यह भी है कि विभाजन के पश्चात् मौजूदा प्रधान डाकघर तथा प्रस्तावित प्रधान डाकघर के अधीन रखे जाने वाले उप डाकघरों की संख्या 20 से कम नहीं होनी चाहिए। किसी जिले में भी एक प्रधान डाकघर सृजित किया जा सकता है, जब उस जिले में प्रस्तावित प्रधान डाकघर के लेखा अधिकार-क्षेत्र के अधीन रखे जाने के लिए 20 उप डाकघर मौजूद हों। पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में, इन मानदण्डों में छूट दी जा सकती है यदि किसी उप डाक घर का प्रधान डाकघर के बतौर दर्जा बढ़ाने से डाक घरों को धनराशि मुहैया कराने में अत्यधिक लाभ पहुंचता हो।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा गुजरात में दर्जा बढ़ाए गए डाक घरों का जिलावार ब्यौरा।

उड़ीसा शून्य

मध्य प्रदेश

जिले का नाम	दर्जा बढ़ाए गए डाकघरों की संख्या		
	1995-96	1996-97	1997-98
रायगढ़	1		
रीवा	1		
दामोह	1	1	
मांडला		1	
रायपुर		1	1
पन्ना		1	
खरगौन		1	
सरगुजा			1
	3	5	2

गुजरात

जिले का नाम	दर्जा बढ़ाए गए डाक घरों की संख्या		
	1995-96	1996-97	1997-98
अहमदाबाद	1	1	
बनासकांठा		1	
पंचमहल		1	
सूरत		2	
कुल:	1	5	शून्य

Expansion and Modernisation Programme of M.T.N.L.

3703. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the Mahanagar Telephone Nigam Ltd. (M.T.N.L.) has proposal to implement the expansion and modernisation programme in Delhi;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the above programmes are proposed to be implemented during Ninth Five Year Plan;

(d) if so, the fund earnmarked therefor; and

(e) the details thereof?